दूरभाष व फैक्स : (01342) 2004..
ई–मेल :– robijnaur@upsb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर

108 / 11 आवास विकास कालोनी, बिजनौर –246701

सन्दर्भ सं0 : 1203 / D-1 / अनापत्ति दिनांक : 19-12-16

सेवा में,

जिला पूर्ति अधिकारी
बिजनौर।

विषय–मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड 495 / 1, द्वितीय तल आरपीजी टावर, यूनिवर्सिटी रोड मंगल पाण्डेनगर, मेरठ को ग्राम–खुडाहेडी, तहसील–बिजनौर, जिला–बिजनौर के गाटा सं0–181 खसरा नं0–647 में पैट्रोल / डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक–5209 / बीस आयुध सहायक दिनांक–27.10.2016, जोकि इस कार्यालय में दिनांक–04.11.2016 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुक्रम में प्रस्तावित स्थल की स्थलीय जॉच करायी गयी। निरीक्षण आख्या के अनुसार मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, गाटा संख्या–181 व खसरा संख्या–647, ग्राम–खुडाहेडी, बिजनौर–हरिद्वार रोड, तहसील व जिला–बिजनौर में डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) के 1×16 के0एल0 (क्लास–ए) एम0एस0, 1×16 के0एल0 (क्लास–बी) एच0एस0डी0 एवं 1×16 के0एल0 (क्लास–बी) एच0एस0डी0 टैंकों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल के पूर्व दिशा में कृषि भूमि स्थित है, पश्चिम दिशा में मण्डावर–बिजनौर रोड़, तत्पश्चात् आम का बाग तथा लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्राम–खुडाहेडी स्थित है, उत्तर दिशा में कृषि भूमि स्थित है तथा दक्षिण दिशा में कृषि भूमि स्थित है एवं दक्षिण–पूर्व दिशा में कृषि भूमि, तत्पश्चात् लगभग 500 मीटर की दूरी पर के0एल0एस0 इन्जीनियरिंग कालेज स्थित है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से प्रस्तावित स्थल पर उपरोक्त क्षमता के अन्डरग्राउण्ड टैंकों की स्थापना निम्नलिखित शर्तों के अधीन संस्तुति की जाती है :–

1– इकाई द्वारा पेट्रोलियम टैंको का भण्डारण प्रस्तावित स्थल के सन्निकट स्थित विद्युत लाइन से सुरक्षित दूरस्थ तथा अग्निशमन विभाग के प्राविधानों के अनुरूप किया जाये।

2– पेट्रोल पम्प द्वारा बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त की जाये।

3– प्रस्तावित 15 के0वी0ए का डी0जी सेट, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना सं0–जी.एस.आर 371 (ई) दिनांक–17.05.02 व जी.एस.आर 448 (ई) दिनांक–12.07.04 के अनुसार एकाउस्टिक इन्क्लोजर तथा एग्जास्ट मफलर सहित स्थापित किया जाए।

4– इकाई पेट्रोलियम पदार्थो का भण्डारण एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट के मार्गदर्शिका के अनुसार करना सुनिश्चित करेगा तथा सुरक्षा में अग्निशमन के समस्त वांछित उपाय कराना सुनिश्चित करेगा।

5– इकाई किसी आकस्मिक दुर्घटनाओं के बचाव हेतु आन साइट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर इसका अनुमोदन सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर इस कार्यालय में तीन माह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।

सं0 ...... / अनु0 ......
प्रकरण ... जॉच कर ... विभाग ... अधिकारी को ... प्रस्तुत करें। साथ ही आख्या अधोहस्ताक्षरी भी दें।
दिनांक 26.12.16

जिला पूर्ति अधिकारी
बिजनौर

भवदीय

(एक्स.ई.)
क्षेत्रीय अधिकारी

संजय नागपाल
Sanjay Nagpal
विधिवत गठित ...
Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय - मेरठ
Meerut Retail Regional Office - Meerut